



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SD/22/STGMP/DELAAL/RU-III

दिनांक: 05-04-2018

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्य प्रदेश) | 2. प्रमुख सचिव,
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्य प्रदेश) |
| 3. अपर मुख्य सचिव,
वन विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल (मध्य प्रदेश) | 4. कलेक्टर,
जिला बैतूल,
(मध्य प्रदेश) |

विषय: डीनोटीफाईड भूमियों को वन भूमि बता कर आदिवासियों को भूमि के पट्टों से वंचित किए जाने बाबत (2) लगभग एक लाख जनजातीय समुदाय एवं जंगलों पर आश्रित समुदाय की भूमियों पर वन विभाग का जबरन कब्जा करने बाबत (3) अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासियों को भूमि के अधिकारों से वंचित करने के बाबत (4) आदिवासियों को भूमि के सुधार की प्रक्रिया से वंचित करने के बाबत (5) अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासी एवं उन्हें भूमि के अधिकारों से वंचित किया जाना के संबंध में- श्री संदीप दीक्षित, भूतपूर्व सांसद (लोकसभा), ग्राम गौरा, पो. बरखेड़ा नाथू, एम.पी. स्टेट शूटिंग एकेडमी के पास, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.) का दिनांक 26-02-2018 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस आयोग के समसंख्यक सीटिंग नोटिस दिनांक 27.03.2018 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो सीटिंग (बैठक) 13-04-2018 को 04.00 बजे होने वाली थी अब वह 20-04-2018 को अपराहन 04.00 बजे निर्धारित की गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें।

2313-17
5/A/18

(आर. क. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष-24615012

प्रतिलिपि:

श्री संदीप दीक्षित, भूतपूर्व सांसद (लोकसभा), ग्राम गौरा, पो. बरखेड़ा नाथू, एम.पी. स्टेट शूटिंग एकेडमी के पास, नीलबड़, भोपाल (म.प्र.)